



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062022-236565
CG-DL-E-14062022-236565

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2603]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944

No. 2603]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISHTHA 24, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

आय-कर

का.आ. 2735(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 1790(अ), तारीख 5 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 21 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक
(1)	(2)	(3)
"22	2022-23	331"

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 और पश्चात्तवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 62/2022/फा. सं. 370142/20/2022-टीपीएल]

उम्मे फरदीना आदिल, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 1790(अ), तारीख 5 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उनका अंतिम संशोधन का.आ. 2336(अ), तारीख 15 जून, 2021 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2022

INCOME-TAX

S.O. 2735(E).—In exercise of the powers conferred by clause (v) of the *Explanation* to section 48 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 1790(E), dated the 5th June, 2017, namely:-

2. In the said notification, in the Table, after serial number 21, the following serial number and entries relating thereto, shall be inserted, namely:-

TABLE

Sl. No.	Financial Year	Cost Inflation Index
(1)	(2)	(3)
“22	2022-23	331”

3. This notification shall come into force with effect from 1st day of April, 2023 and shall accordingly apply to the Assessment Year 2023-24 and subsequent years.

[Notification No. 62 /2022/F. No. 370142/20/2022-TPL]

UMME FARDINA ADIL, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1790(E), dated the 5th June, 2017 and was last amended *vide* S.O. 2336(E) dated 15th June, 2021.